VOL- X | ISSUE- II | FEBRUARY | 2023 | PEER REVIEW e-JOURNAL | IMPACT FACTOR 7.367 | ISSN 2349-638x

स्त्री शोषण और चेतना का जीवन्त दस्तावेज
भगवानदास मोरवाल कृत उपन्यास 'हलाला'

ललिता देवी
पीएच.डी. शोधार्थी
हिन्दी विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय
जम्मू — १८०००६
Email : sharmalalita0781@gmail.com

हमारे समाज में स्त्री की स्थिति दोयम दर्जे की रही है। उसे सदियों से रूढ़ियों और प्रथाओं के नाम पर पितृसत्तात्मक समाज द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा है। उसे कभी पति तो कभी संतान की खातिर अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। स्त्री जीवन के विभिन्न विषयों को आधार बनाकर लेखकों ने साहित्य लिखा है। भगवान दास मोरवाल ने 'हलाला' उपन्यास में मुस्लिम समाज में धर्म की आड़ में स्त्री—शोषण का बखान किया है। उपन्यास की प्रमुख पात्र नजराना को पारिवारिक और आर्थिक स्तर पर शोषण का शिकार होना पड़ता है। वह एक मर्यादित नारी का जीवन यापन करते हुए अपने पति और बच्चों के साथ खुशी—खुशी रह रही होती है किन्तु उसका ससुर खुदाबख्श उर्फ टटलू सेठ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करता है तो नजराना इसका विरोध करते हुए शोर मचाती है जिससे समाज में बदनामी के डर से उसका ससुर स्वयं को बचाने के लिए उल्टा नजराना पर ही चरित्रहीनता का दोषारोपण करता है। वह सारा इल्जाम नजराना पर लगाकर अपने बेटे नियाज को नजराना के खिलाफ भड़काता है। नियाज भी अपने पिता के बहकावे में आकर बिना सोचे—समझे नजराना को तलाक दे देता है। इस घटना का वर्णन उपन्यास की पात्रा नसीबन इन शब्दों में करती है — "एक दिन टटलू ने नजराना चौबरा में पकड़ ली बताई ... ऊ तो जब नजराना रौल मचाण लगी तो टटलू ने उल्टो वाही पे गलत इलजाम लगा दियो ... और वा बेकूप नियाज ने बिना कुछ सोचे—समझे बाप के बहकावा में आके गाय जैसी औरत तल्लाक दे दी।"[१]

नियाज से तलाक मिलते ही नजराना को अपने तीन बच्चों को छोड़कर पिता के घर जाना पड़ता है। नजराना के साथ किए गए दुर्व्यवहार से शर्मिंदा होकर नियाज और टटलू सेठ नजराना को घर वापिस लाने के कई प्रयास करते हैं पर वह एक जागरुक स्त्री का परिचय देते हुए नियाज को पूरी पंचायत में उससे माफी माँगने पर ही घर वापिस आने की शर्त रखती है। उपन्यास में वर्णित — "अगर नियाज भरी पंचात में माफी माँग लेए, तो ऊ उल्टी आ जाएगी।"[२]

नजराना को घर वापिस लाने के लिए पंचायत लगाई जाती है तो उसका पति नियाज और ससुर खुदाबख्श (टटलू सेठ) माफी माँगते है किन्तु फिर एक बार धर्म का सहारा लेकर नजरान को घेरा जाता है। क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार तलाकशुदा स्त्री अपने पहले पति के पास दोबारा तभी जा सकती है जब उसका निकाह किसी अन्य व्यक्ति से हो और वह उसे तलाक देकर ही अपने पहले पति के पास जा सकती है। इस विषय पर रसखान नामक पात्र

कहता है — "भई वा तम भला मुसलमान हुआ जा इतनो भी पतो ना है के तल्लाक दिये पीछे अगर कोई फिर` सू वाही घर में आणो—चाहवे तो वाकू हलाला जरूरी है।"[३]

हमारे धर्मों में स्त्री की स्थिति कोई सम्मानजनक नहीं रही है। पुरुष की तुलना में धर्म के अन्तर्गत प्रथाओं और रीति—रिवाजों का सहारा लेकर स्त्री का शोषण अधिक किया जाता है। जब पंचायत में हलाला प्रथा की बात उठाई जाती है तो सभी लोग असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। नजराना के परिवार में इस बात को लेकर चिंता बढ़ने लगती है कि ऐसा व्यक्ति कहाँ से मिले जो नजराना से पहले निकाह करे और बाद में उसे तलाक दे ताकि वह अपने पहले पति और बच्चों के पास जा सके।

इसी उपन्यास में डमरु नामक पात्र का चित्रण है जो अपने काले रंग और बढ़ती उम्र के कारण लोगों में हमेशा उपहास का पात्र बनता है। उसकी शादी नहीं हुई इसी कारण अभी तक। नजराना के सास—ससुर को डमरु इस 'हलाला' प्रथा के लिए उचित व्यक्ति लगता है। सास अपनी बहू के साथ हलाला प्रथा के तहत निकाह करने के लिए डमरु के सामने मिन्नतें करती है किन्तु डमरु इन्कार कर देता है। वह एक ईमानदार, दीन—धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है। वह अपनी बड़ी भाभी नसीबन को माँ की तरह मानता है और उसी के दबाव डालने पर नजराना से निकाह के लिए सहमत होता है क्योंकि वह उसे समझाती है कि उसका निकाह नजराना के साथ होने से उसका घर दोबारा बस जाएगा, भाभी के परामर्श के बाद डमरु और नजराना का निकाह हो जाता है और फिर हलाला प्रथा के लिए जब पंचायत लगाई जाती है तो डमरु भी तलाक देने के लिए तैयार बैठा होता है। मौलवी इमाम द्वारा डमरु से पूछा जाता है कि क्या वह नजराना को तलाक दे रहा है तो डमरु हाँ कहते हुए तलाक कहने ही लगता है तभी मौलवी डमरु की बात काटते हुए हदीस और शरीअत के अनुंसार हलाला होने की बात पूछता है। अर्थात मौलवी का कहना है कि — "हलाला के लिए सिर्फ दूसरा निकाह ही काफी नहीं है, बल्कि उस वक्त तक औरत पहले शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकती, जब तक कि वह दूसरे शौहर के साथ हमबिस्तर न हो ले।"[४] मौलवी की बात सुनते ही डमरु घबरा जाता है। पंचायत में बैठा दुंडल नाम का बुजुर्ग मुसलमान कहता है कि नजराना का दूसरा निकाह तो हो गया है और डमरु भी उसे अपनी इच्छा से तलाक दे रहा है तो क्या परेशानी है पर मौलवी उसकी बात को नहीं सुनता तथा कहता है कि — "आपको हलाला का असली मकसद और मतलब ही नहीं मालूम है।"[५]

मौलवी इमाम डमरु को हदीस और शरीअत के नियमों के अनुसार हलाला करने का परामर्श देता है। इस तरह के दुर्व्यवहार से नजराना का दोहरा शोषण होता है। यहां वह पहले पति और ससुर द्वारा प्रताड़ित होती वहीं दूसरी तरफ उसे धर्म की कुरीतियों के नाम पर पुरुषों से भरी पंचायत में शर्मिंदा किया जाता है। जब डमरु को नजराना के साथ हमबिस्तर होने के लिए दबाव बनाया जाता है तो वह नजराना की खातिर पंचायत में झूठ तक बोलने को तैयार हो जाता है कि वह पंचायत में कह देगा कि जैसा मौलवी ने कहा था वैसा ही हलाला हुआ है। वह कहता है — "कह दूँगो के जैसे मौलवी साब ने कहीं ही, वैसो हलाला होगो है।"[६]

डमरु एक ईमानदार व्यक्ति है वह नजराना की स्थिति का फायदा उठा कर उससे संबंध नही बनाना चाहता। इसलिए पंचायत में डमरु वैसे ही कहता है जैसे उसने नजराना को कहा था, पर नजराना डमरु द्वारा तीसरी बार तलाक शब्द कहने से पहले ही बीच में उठकर बोल पड़ती है कि उसका हलाला मौलवी के कहे अनुसार नहीं हुआ है।उसके यह शब्द पूरी

पंचायत में हलचल मचा देते हैं और मौलवी नजराना को डमरु के साथ ही रहने के लिए कहता है। मौलवी कहता है — "न शरीअत और हदीस के मुताबिक हलाला होगा और न यह नजराना अपने शौहर के लिए हलाल होगी।"[७] नजराना मौलवी से कहती है कोई उसकी बात सुने कि वह क्या चाहती है। इस पर मौलवी उत्तर देता है — "मोहतरमा आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होने वाला ... आखिर कुरआन पाक, हदीस या शरीअत के फरमान—फतवों का भी तो कुछ मतलब है ... जाइए डमरु से कहो कि वह पहले एक शौहर का फर्ज़ अदा करे।"[८]

नजराना पुरुष सत्ता का विरोध करती है वह गुलामी का जीवन स्वीकार नहीं करना चाहती किन्तु धर्म का ठेकेदार मौलवी पुरुष को स्त्री से श्रेष्ठ बताता है और नारी जाति के लिए पति सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है ऐसी शिक्षा देता है। वह कहता है — "वैसे भी कुरआन में साफ फरमाया है कि मर्दों के लिए औरतों पर एक दर्जा ज्यादा है, यानि मर्द औरत पर कव्वाम।"[९]

नजराना पंचों और धर्म के ठेकेदारों द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध करते हुए पंचायत में कहती है — "दादा हम कोई लत्ता कपड़ा हैं के जब जी करे पहन लेओ, और जब जी करे उन्ने उतार के फेंक देओ।"[१०]

नजराना अपने पहले पति के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करते हुए कहती है — "दादा मेरी आबरु तो या आदमी ने वाही दिन तार—तार करदी ही, जा दिन माने चौड़ा में मेरो आसरा छीन लियो हो, और मैं एक पराया मरद के संग सोण कू मजबूर करदी ही।"[११]

पति की जिम्मेदारी अपनी पत्नी की हर स्थिति में सुरक्षा की होती है और वही जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी पत्नी को हमबिस्तर होते देखकर भी चुप रहे तो उससे भविष्य में क्या उम्मीद भी की जा सकती है। पति की इस तरह की संवेदनशून्यता पत्नी के मन में गहरा घाव करती है। इसलिए नजराना अपने पहले पति नियाज के दुश्चरित्र के आहत होकर डमरु के साथ रहने का दृढ़ निश्चय करती है क्योंकि डमरु ने परिस्थितियाँ विकट होने पर भी कभी नजराना की मजबूरियों का फायदा नहीं उठाया और हमेशा उसे सम्मानजनक दृष्टि से देखा। वह अगर चाहता तो 'हलाला' की आड़ में नजराना के साथ सम्बंध बना सकता था किन्तु उसने ऐसा नहीं किया इसी वजह से नजराना के हृदय में डमरु के प्रति सम्मान बढ़ गया और उसने अपने पहले पति नियाज को छोड़ डमरु को भविष्य में पति के रूप में चुनकर पुरुष वर्ग को एक सीख दी।

अत: हम कह सकते हैं यहां इस उपन्यास में लेखक ने नजराना के माध्यम से स्त्री शोषण का चित्रण किया है वहीं उसमें विद्रोह दिखा कर स्त्री चेतना का परिचय भी दिया है। जो केवल शोषित नहीं होती बल्कि अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर अपने जीवन का फैसला करके साहस का परिचय भी देती है।

संदर्भ

१. भगवान दास मोरवाल, हलाला, पृ. ८८
२. वही, पृ. ८८
३. वही, पृ. ९३
४. वही, पृ. १३०
५. वही, पृ. १३०
६. वही, पृ. १५०
७. वही, पृ. १७२
८. वही, पृ. १७२
९. वही, पृ. १७८
१०. वही, पृ. १७८
११. वही, पृ. १७८